तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील डिक्री/टी0ए0/3368/2005/हनुमानगढ धनकौर बनाम भोलेसिंह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13.11.25	**खण्डपीठ** **श्री आर0डी0मीणा,सदस्य** **कमला अलारिया, सदस्य** **उपस्थित** श्री ओ0पी0मोदी, अधिवक्ता अपीलांट श्री प्रदीप विश्नोई, अभिभाषक रेस्पो0 **निर्णय** यह द्वितीय अपील अंतर्गत धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध निर्णय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, हनुमानगढ दिनांक 29.06.2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। द्वितीय अपील के राजस्व मण्डल में विचाराधीन रहते हुये प्रकरण में रेस्पो0 के अभिभाषक श्री प्रदीप विश्नोई द्वारा अवगत कराया गया कि पक्षकारों के मध्य आपसी राजीनामा हो गया। पक्षकारों द्वारा मूल राजीनामा अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, हनुमानगढ के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। जिसकी प्रतिलिपि रेस्पो0 के अभिभाषक श्री प्रदीप विश्नोई द्वारा मंडल के समक्ष प्रस्तुत करते हुये निवेदन किया कि प्रकरण अपीलीय न्यायालय को इस निर्देश साथ प्रतिप्रेषित करे वह उनके समक्ष प्रस्तुत राजीनामा अनुसार प्रकरण का निस्तारण करे। रेस्पो0 के अभिभाषक श्री प्रदीप विश्नोई द्वारा प्रस्तुत राजीनामे की प्रति का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत राजीनामे का विवेचन व विश्लेषण करने से स्पष्ट है कि प्रकरण में उभयपक्षों के मध्य घोषाणा का वाद विचाराधीन चल रहा था। इस वाद में परीक्षण न्यायालय द्वारा वादीगण का वाद डिक्री कर दिया गया था। जबकि अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय द्वारा प्रतिवादी/रेस्पो0 की अपील स्वीकार कर परीक्षण न्यायायल के निर्णय को अपास्त किया है। विवादित भूमि के संबंध में पक्षकारों के मध्य काफी लंबे समय से विवाद चल	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील डिक्री/टी0ए0/3368/2005/हनुमानगढ धनकौर बनाम भोलेसिंह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	रहा है। पक्षकारों के मध्य आपसी राजीनामा हो गया। पक्षकारों के अभिभाषकगण द्वारा राजीनामा की फोटोप्रति पीठ के समक्ष प्रस्तुत की गयी है। जिसका अवलोकन किया गया। फलतः प्रकरण अपीलीय न्यायायल राजस्व अपील अधिकारी, हनुमानगढ को प्रतिप्रेषित करते हुये निर्देशित किया जाता है कि वह प्रस्तुत राजीनामा के क्रम में पक्षकारों को तलब कर नियमानुसार तस्दीक करते हुये मूल वाद का अंतिम निर्णय, प्रस्तुत राजीनामें और सभी संबंधित दस्तावेजात के आधार पर उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर देते हुये प्रकरण में विधिसंगत निर्णय पारित करे। उभयपक्ष अपीलीय न्यायायल राजस्व अपील अधिकारी, हनुमानगढ के समक्ष दिनांक 08.12.2025 को उपस्थित होवे। प्रकरण उक्तानुसार निर्णित किया जाता है। निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(कमला अलारिया)** **(आर0डी0मीणा)** **सदस्य** **सदस्य**	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील डिक्री/टी0ए0/3368/2005/हनुमानगढ धनकौर बनाम भोलेसिंह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए